

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/एल.आर./10654/2003/पाली

- 1- श्री केसाराम पुत्र श्री दलाजी जाति सीरवी निवासी कोसेलाव तहसील सुमेरपुर जिला पाली।
- 2- वनाराम पुत्र श्री दलाजी जाति सीरवी निवासी कोसेलाव तहसील सुमेरपुर जिला पाली।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

- 1- राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सुमेरपुर।
- 2- ग्राम पंचायत कोसेलाव जरिये सरपंच, तहसील सुमेरपुर जिला पाली।

.....प्रत्यर्थीगण

एकल-पीठ

श्री पंकज नरुका, सदस्य

उपस्थित :

श्री जे.के. पारीक, अधिवक्ता अपीलार्थीगण।
श्री शोकिन्द गुर्जर, उप राजकीय अधिवक्ता प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक:- अक्टूबर, 2019

1- यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24-11-2000 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बाली के अपीलाधीन आदेश द्वारा खसरा नम्बर 1052 रकबा 1.68 हैक्टेयर किस्म बँजड़ भूमि को ग्राम पंचायत, कोसेलाव के पक्ष में आबादी विस्तार हेतु रूपान्तरण एवं आवंटन कर दिया। अपीलान्त विवादित रकबा का

क्रेता होकर व्यथित पक्षकार है। खातेदार खूमा का खसरा नम्बर 411 में 1/8 हिस्सा होकर ग्राम पंचायत के पक्ष में किया गया बेचान हिस्से से अधिक बेचान होने से कानूनन शून्य है। यह कि भू-प्रबन्ध विभाग को उक्त रकबा ग्राम पंचायत के नाम दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था, जबकि भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा ग्राम पंचायत की खातेदारी में 3 बीघा 1 बिस्वा भूमि बढ़ा दी गई तथा खसरा नम्बर 1052 में 7 बीघा की बजाय 1.61 हैक्टेयर दर्ज कर दिया गया, जो विधिवत नहीं है। यह कि खसरा नम्बर 1052 के उक्त बढ़ाये हुए रकबा पर अपीलान्ट ही काबिज काशत है। उप खण्ड अधिकारी, बाली के अपीलाधीन आदेश द्वारा खसरा नम्बर 1052 रकबा 1.68 हैक्टेयर किस्म बँजड़ भूमि को ग्राम पंचायत, कोसेलाव के पक्ष में आबादी विस्तार हेतु रूपान्तरण एवं आवंटन कर दिया। जिसके विरुद्ध अपीलांट ने प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के समक्ष प्रस्तुत की। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24-11-2000 द्वारा अपील अपीलार्थी खारिज कर दी। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3- हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4- विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील-मीमों में अंकित अपील आधारों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय कानून एवं न्याय विरुद्ध होकर निरस्तनीय है। विवादित भूमि 3 बीघा 1 बिस्वा साबिक खसरा नम्बर 411/1 हाल खसरा नम्बर 1052 में सम्मिलित कर रेस्पों संख्या 2 के नाम दर्ज कर दी गई जो राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट साबित है जो कि अपीलान्ट की खातेदारी भूमि होकर बिना किसी आधार के रेस्पों संख्या 2 ग्राम पंचायत के नाम दर्ज कर आबादी हेतु सेट अपार्ट कर दी गयी है जो कानून एवं नियम विरुद्ध होकर निरस्तनीय है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे बहस में कथन किया कि राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा तहसील सुमेरपुर से मौका रिपोर्ट मंगवायी गयी। उक्त मौका रिपोर्ट में तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा पैरा संख्या 2 में स्पष्ट रूप से यह अंकित किया गया कि अपीलान्ट कैसा, वना की 3 बीघा 1 बिस्वा खातेदारी भूमि कम कर ग्राम पंचायत केसालाव के नाम 3 बीघा 1 बिस्वा भूमि अधिक दर्ज कर दी गयी है जिस पर वर्तमान में अपीलान्ट कैसा, वना का ही आधिपत्य है। उक्त स्पष्ट रिपोर्ट होते हुए भी राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली ने उप

जिलाधीश द्वारा पारित निर्णय निरस्त नहीं कर अपीलान्ट की अपील निरस्त कर राजस्व रिकार्ड एवं मौका रिपोर्ट के विपरीत निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अपीलान्ट की खातेदारी भूमि को भू प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत रूप से ग्राम पंचायत के नाम खातेदारी दर्ज करने पर अपीलान्ट ने खातेदारी घोषणा एवं निषेधाज्ञा का वाद सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। ग्राम पंचायत द्वारा 10 बीघा 1 बिस्वा रकबे का आबादी हेतु रूपान्तरण कराये जाने का आदेश विधिवत नहीं है। खसरा नम्बर 1052 का मौके पर ग्राम पंचायत के पास कब्जा केवल 7 बीघा पर होकर शेष रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा अपीलान्ट के कब्जे में है तथा पंचायत के खाते में भू-प्रबन्ध विभाग ने गलत दर्ज किया है तथा कानूनन पंचायत के पक्ष में विक्रय शर्त सहित होकर ग्राम पंचायत का कोई स्वत्व एवं कब्जा नहीं होने से पारित अपीलाधीन आदेश विधिवत नहीं है। अतः अपील स्वीकार फरमायी जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24-11-2000 एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली द्वारा पारित आदेश दिनांक 25-12-1998 निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में आर.आर.डी-2010 पेज 359, आर.बी.जे.-2006 पेज 205, आर.आर.डी-2009 पेज 456, आर.आर.टी-2008 (1) पेज 151 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

5- उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुये विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने कहा है कि न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बाली द्वारा पारित आदेश अपील योग्य नहीं है। विक्रेता तखत सिंह द्वारा बेची गई 65 बीघा भूमि में से 1/8 हिस्से का विक्रय होकर करीब 7 बीघा हिस्सा खातेदार का होने से पंचायत के खाते में दर्ज रकबा पंचायत के खातेदारी एवं कब्जे का है। विवादित रकबा ग्राम पंचायत के कब्जे में होकर इस न्यायालय में अपीलान्ट को एतराज पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः अपीलाधीन आदेश विधिवत होकर हस्तगत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

6- उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया।

7- पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड विक्रयपत्र दिनांक 31-7-1963, विक्रय पत्र दिनांक 22-4-72 मिलान क्षेत्रफल, जमाबंदी संवत् 2019 से 2022,

2024 से 2030, 2052 से 2055 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि खसरा नंबर 1052 वर्तमान जमाबंदी में ग्राम पंचायत कोसेलाव में स्थित है, जो गत खसरा नंबर 411 मिन से बना है तथा गत खसरा नंबर 411, केसा वना पिसरान दलाजी, खूमा, भूरा पिसरान लाला, नेमा, हिमता, नेना पिसरान पेमा, दीपा वल्द पेमा वगैर की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है तथा खातेदार खूमा वल्द लाला द्वारा ग्राम पंचायत, कोसेलाव के पक्ष में खसरा नंबर 411 रकबा 33 बीघा में से 7 बीघा का विक्रय दिनांक 16-12-63 को किया गया है। जमाबंदी संवत् 2024 से 2030 के अनुसार ग्राम पंचायत, कोसेलाव के खाते में खसरा नंबर 411/2 रकबा 7 बीघा दर्ज हुआ है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त रकबा 7 बीघा भू प्रबंध कार्यवाही के पश्चात् ग्राम पंचायत कोसेलाव के खाते में खसरा नंबर 1052 रकबा 1.61 हैक्टेयर अंकन किया गया है। उक्त इन्द्राज के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा किसी प्रकार का विरोध करने बाबत् कोई प्रमाण पेश नहीं किया है जिससे स्पष्ट है कि उसके द्वारा इस संबंध में कोई चाराजोई नहीं की गई है।

8— अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय में यह भी स्पष्ट किया है कि जब दूसरी बार तहसीलदार सुमेरपुर से रिपोर्ट मंगवाई जाने पर प्रतिवेदन दिनांक 20-11-2000 द्वारा भी यह स्पष्ट किया गया कि अपीलार्थी के खाते से रकबा कमी होकर भू प्रबंध कार्यवाही के दौरान खसरा नंबर 1052 में 0.49 हैक्टेयर रकबा वृद्धि हुई है। मौके पर बबूल की झाड़ियां खड़ी होने से तथा रास्ता मवेशियों के काम में आने से भूमि पड़त पड़ी हुई है। अतः अपीलार्थी का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त होना प्रकट नहीं होता है।

9— अपीलार्थी द्वारा भू प्रबंध कार्यवाही के दौरान अथवा भू प्रबंध की कार्यवाही पश्चात् भी जब सक्षम न्यायालय में चाराजोही नहीं की गई है ऐसे में अब इस स्तर पर विवादित भूमि के आवंटन के संबंध में ऐतराज किया जाना स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है। हमारे विनम्र मत में उपखण्ड अधिकारी, बाली, द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 25-12-98 में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय द्वारा उक्त निर्णय की पुष्टि करने में कोई विधिक भूल नहीं की गई है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है जिनमें अपील के जरिये हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार नहीं है।

अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है।

10— परिणामतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24-11-2000 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज नरुका)
सदस्य